



भारत सरकार Government of India रेल मंत्रालय Ministry of Railways रेलवे बोर्ड (Railway Board)



Office Order No. 77 of 2022

Sub: Revised allocation of works to AM/RE and AM/Traction.

Subsequent to merger of Railway Electrification Directorate with Gati Shakti Directorate, it has been decided that henceforth, AM/RE would be under the administrative control of M/TRS instead of M/Infra.

- 2. Accordingly, the revised duty list of AM/Traction and AM/RE would be as enclosed at Annexure-I.
- 3. The above issues with the approval of the competent authority.

No.2022/O&M/7/28 Dated :02.12.2022 (B. Majumdar) Adviser(Admn.)/Railway Board

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW and at Dayabasti, New Delhi.

Copy to:

CRB & CEO, M/Infra, M/TRS, MF, M/O&BD, Secretary/RB.

AM/RE, AM/Traction

Advisor/MR, OSD/MR, OSD/Co-ord/MR, Additional PS/MR

Additional Member (Traction)

- 1. All technical, safety, operational matters related to manufacturing, maintenance, modernization, condemnation, technology up gradation, codal life etc. of electric and diesel locomotives.
- 2. All issues pertaining to reliability & availability, safety(including fire safety), performance, utilization of electric and diesel locomotives.
- 3. All aspects of operations including policy matters pertaining to crew review, running room management, training, power plan, cadre management and planning etc of all types of traction rolling stock.
- 4. All matters pertaining to collaboration, procurement, acquisition, planning, transfer of technology, export, import, obsolescence, introduction of high technology for electric and diesel locomotives.
- 5. Rolling Stock Programme and budget relating to electric and diesel locomotives, initial capital and maintenance spares.
- 6. Works related to establishment of new shed, augmentation of existing shed, conversion of shed for maintenance, upkeep and keeping fit for train operation.
- 7. Meetings of Electric Standard Committee(ESC), Maintenance Study Group(Loco), Chief Electrical Engineers' Conference and Chief Electrical Loco Engineers' Conference, POH & midterm rehabilitation of electric locomotives, Railway Reforms Committee, Bulk Indent Meeting (BIM), Diesel Maintenance Group (DMG) and Loco Standards Committee (LSC).
- 8. All matters pertaining to monitoring performance of Production Units of Indian Railway and PSUs involved in electric and diesel loco production.
- 9. All issues pertaining to CRS sanctions for various Traction Rolling Stock.
- 10. Creation of posts for Electrical Department, Manpower Planning and in general with Establishment Directorate.
- 11. All matters connected with loco acquisition from Electric Loco Factories such as Loco factory at Madhepura, Marhowra etc.
- 12. Development and proliferation of high horse power and new technology locos.
- 13. All policy matters related to technological up gradation and modernization of electric and diesel locomotives. Diesel Electric, hydrogen based propulsion traction rolling stock, Battery operated and Hybrid Shunting Locomotives.
- 14. Training of Gazetted and Non-Gazetted Officers/staff and coordination matters with CPOs/MPP Directorate, pertaining to Electrical (Traction and Energy Management) Directorates.
- 15. All policy matters related to procurement, quality, Monitoring of the consumption of high speed diesel oil, lubricants, hard coke and coal dispensation of high speed diesel oil and lubricants through Railway diesel installations.
- 16. Liaison with organizations such as IOC, BPCL, HPCL, CIL, BCCL for supply of high speed diesel oil, lubricants, hard coke and coal for use on Railways.
- 17. Liaison with RDSO for technical specifications of high speed oil and lubricants used on diesel locomotives.

- 18. Development of alternative sources of energy such as fuel cells, LNG, CNG, Bio-diesel, other technology for powering of locomotives.
- 19. Running Room Improvement Committees recommendations and Running Room Shield, Electrical Engineering Shield.
- 20. Policy regarding sale/disposal of diesel locos.
- 21. Emission & pollution control norms for Rolling Stock with diesel, CNG, LNG, Bio-diesel engines.
- 22. All references received from parliament, statutory bodies, VIP references etc pertaining to traction rolling stock and related matters thereof.

Additional Member (RE)

- 1. Policy matters regarding electrification and electrification activities on various Railways including related subjects pertaining to RE (S&T) works.
- 2. All matters related to new electrification schemes, scrutiny of study reports, preparation of memorandum for Board's consideration and approval.
- 3. Co-ordination with DFCCIL for work relating to electrification with 2 x 25 KV system for Eastern and Western DFC.
- 4. Submission of performance reviews pertaining to Railway Electrification to World Bank, Planning Commission etc.
- 5. Technical guidance on electrification to other countries as & when required.
- 6. Coordination with P&T authorities, Ministry of Power, State Electricity Boards etc. in connection with supply of power for electrification projects all over Railways.
- 7. Coordination, control and processing of signal & telecom. Works and coordination with P&T authorities for all S&T and cabling works.
- 8. Processing of estimates for provision of colour light signals and telecom cabling and sanction thereof in connection with electrification schemes.
- 9. Coordination and control with RDSO for various technical aspects in connection with electrification projects.
- 10. Indigenous development of components for overhead equipment/switching stations and traction sub-station and cable accessories.
- 11. Processing and coordination with concerned Directorates for initial studies for extension of Electrification Projects, Planning of new projects for Board's approval.
- 12. All matters related to Clean Development mechanism, Energy conservation, alternative and renewable energy services, pursuing of projects and matters relating with the Clean Development Mechanism/Carbon Credits/Carbon Participation Fund.
- 13. Framing of Policies/Programmes/Initiatives and monitoring of implementation on matters relating to development of Green built-up spaces on Indian Railways such as Service buildings including stations and industrial units.
- 14. Co-ordination with Ministry of Power, Central Electricity Authority, CERC and SERCs.
- 15. Matters pertaining to Indian Electricity Act, Rules and Regulations, including their implementation, periodical revisions, interpretations etc.
- 16. Issues relating to Tariff for Traction Power Supply, General Services.
- 17. Passenger Amenity Works Provision of electric lifts, escalators, water coolers. DG sets electrical pumps, air conditioners and AC plants in Railway buildings/premises.
- 18. All matters pertaining to Generation/availing, transmission and utilization of electricity for Indian Railways.
- 19. All electrical works to be included in Works Programme etc., M&P, RSP and Budget related to Traction Distribution and General Power Supplies and Carriage(Electrical), electricity consumption etc.

- 20. All matters pertaining to development, proliferation, operability, maintainability, obsolescence management, provision of spares, budget, funding, works, all parliamentary matters pertaining to 25 KV AC traction system over Indian Railways.
- 21. Matters pertaining to liaison with industries, export, import, technology, components, assemblies, pertaining to various types of OHE.
- 22. All references received from parliament, statutory bodies, VIP references etc pertaining to conventional and non-conventional energy, over head equipment(including 2x25kV system), railway electrification, transmission lines, general power supplies etc and related matters thereof.

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2022 का कार्यालय आदेश सं. 77

विषय : अपर सदस्य/आरई और अपर सदस्य/कर्षण को कार्यों का संशोधित आवंटन।

रेल विद्युतीकरण निदेशालय के गति शक्ति निदेशालय के साथ विलय के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि अब से अपर सदस्य/आरई सदस्य/अवसंरचना के स्थान पर सदस्य/टीआरएस के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे।

- 2. तदनुसार, अपर सदस्य/कर्षण और अपर सदस्य/आरई की संशोधित इ्यूटी सूची अनुलग्नक-। में दिए गए अनुसार होगी।
- 3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

A. H3H412

सं. 2022/ओएंडएम/7/28

दिनांक: 02.12.2022

(बी. मजुमदार) सलाहकार (प्रशासन)/ रेलवे बोर्ड

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित:

अध्यक्ष रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/टीआरएस, सदस्य वित्त, सदस्य/ओएंडबीडी, सचिव/रेलवे बोर्ड।

अपर सदस्य/आरई, अपर सदस्य/कर्षण

सलाहकार/रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/समन्वय/रेल मंत्री, अपर निजी सचिव/रेल मंत्री

अपर सदस्य (कर्षण)

- 1. बिजली और डीजल इंजनों के विनिर्माण, रखरखाव, आधुनिकीकरण, नकारा करने, प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन, कोइल लाइफ आदि से संबंधित सभी तकनीकी, संरक्षा, परिचालनिक मामले।
- 2. बिजली और डीजल इंजनों की विश्वसनीयता और उपलब्धता, संरक्षा (अग्नि सुरक्षा सहित), निष्पादन, उपयोग से संबंधित सभी मामले।
- 3. सभी प्रकार के कर्षण चल स्टॉक की क्रू समीक्षा, रिनंग रूम प्रबंधन, प्रशिक्षण, पावर योजना, संवर्ग प्रबंधन और योजना आदि से संबंधित नीतिगत मामलों सिहत परिचालन के सभी पहल्।
- 4. बिजली और डीजल इंजनों के लिए सहयोग, खरीद, अधिग्रहण, योजना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निर्यात, आयात, अप्रचलन से संबंधित सभी मामले, उच्च प्रौद्योगिकी की श्रूजात।
- 5. बिजली और डीजल इंजनों से संबंधित चल स्टॉक कार्यक्रम और बजट, प्रारंभिक पूंजी और रखरखाव स्पेयर्स।
- 6. नए शेड की स्थापना से संबंधित कार्य, मौजूदा शेड का संवर्धन, रखरखाव के लिए शेड का रूपांतरण, गाड़ी परिचालन के लिए रखरखाव और फिट रखना।
- 7. बिजली मानक समिति (ईएससी), अनुरक्षण अध्ययन ग्रुप(लोको), मुख्य बिजली इंजीनियर सम्मेलन और मुख्य बिजली लोको इंजीनियर सम्मेलन की बैठकें, बिजली इंजनों की आविधक ओवर और मध्याविध पुनर्वसन, रेल सुधार समिति, थोक मांग बैठक, डीजल अनुरक्षण ग्रुप (डीएमजी)और लोको मानक समिति (एलएससी)।
- 8. बिजली और डीजल इंजन उत्पादन में शामिल भारतीय रेल और उत्पादन इकाइयों के निष्पादन की निगरानी से संबंधित सभी मामले।
- 9. विभिन्न कर्षण चल स्टॉक के लिए सीआरएस स्वीकृति से संबंधित सभी मामले।
- 10. बिजली विभाग के लिए पदों का सृजन, जनशक्ति योजना और सामान्य रूप से स्थापना निदेशालय के साथ।
- 11. मधेपुरा, मढ़ौरा में इंजन फैक्ट्री जैसे बिजली इंजन कारखानों से लोको अधिग्रहण से जुड़े सभी मामले।
- 12. हाई हॉर्स पावर और नई प्रौद्योगिकी इंजनों का विकास और प्रसार।
- 13. बिजली और डीजल इंजनों के तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण से संबंधित सभी नीतिगत मामले। डीजल बिजली, हाइड्रोजन आधारित प्रणोदन कर्षण रोलिंग स्टॉक, बैटरी संचालित और हाइब्रिड शटिंग इंजन।
- 14. राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण और सीपीओ/एमपीपी निदेशालय के साथ बिजली (कर्षण और ऊर्जा प्रबंधन) निदेशालयों से संबंधित समन्वय मामले।

- 15. खरीद, गुणवत्ता, उच्च गति डीजल तेल की खपत की निगरानी, रेल डीजल संस्थापनों के माध्यम से उच्च गति डीजल तेल के स्नेहक, हार्ड कोक और कोयला वितरण और स्नेहकों से संबंधित सभी नीतिगत मामले।
- 16. रेलों पर उपयोग हेतु उच्च गति डीजल तेल, स्नेहकों, हार्ड कोक और कोयले की आपूर्ति के लिए आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सीआईएल, बीसीसीएल जैसे संगठनों के साथ संपर्क।
- 17. डीजल इंजनों पर उपयोग किए जाने वाले उच्च गति डीजल तेल और स्नेहकों की तकनीकी विशिष्टियों के लिए आरडीएसओं के साथ संपर्क।
- 18. इंजनों को पावर देने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास जैसे ईंधन सेल, एलएनजी सीएनजी, बायो-डीजल, अन्य तकनीक का विकास।
- 19. रनिंग रूम सुधार समितियों की सिफारिशें और रनिंग रूम शील्ड, बिजली इंजीनियरिंग शील्ड।
- 20. डीजल इंजनों की बिक्री/निपटान के संबंध में नीति।
- 21. डीजल, सीएनजी, एलएनजी, बायो-डीजल इंजीनियरिंग के साथ चल स्टॉक के लिए उत्सर्जन और प्रदुषण नियंत्रण मानदंड।
- 22. कर्षण चल स्टॉक और उससे संबंधित मामलों से संबंधित संसद, सांविधिक निकायों, वीआईपी संदर्भों आदि से प्राप्त सभी संदर्भ।

अपर सदस्य (आरई)

- 1. आरई (एसएंडटी) कार्य से संबंधित विषयों सहित विभिन्न रेलों पर बिजली और बिजली गतिविधियों के संबंध में नीतिगत मामले।
- 2. नई बिजली योजनाओं, अध्ययन रिपोर्टों की जांच से संबंधित सभी मामले, बोर्ड के विचारार्थ और अनुमोदन के लिए ज्ञापन तैयार करना।
- 3. पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी के लिए 2X25 केवी सिस्टम के साथ बिजली से संबंधित कार्य के लिए डीएफसीसीआईएल के साथ समन्वय।
- 4. विश्व बैंक, योजना आयोग आदि को रेल विद्युतीकरण से संबंधित निष्पादन समीक्षा प्रस्तुत करना।
- 5. आवश्यकता पड़ने पर अन्य देशों को विद्युतीकरण पर तकनीकी मार्गदर्शन।
- 6. रेलों पर में विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए बिजली की आपूर्ति के संबंध में पीएंडटी प्राधिकरणों, विद्युत मंत्रालय, राज्य विद्युत बोर्डों आदि के साथ समन्वय।
- 7. सिगनल और दूरसंचार का समन्वय, नियंत्रण और प्रोसेसिंग। सभी एस एंड टी और केबलिंग कार्यों के लिए पी एंड टी के साथ कार्य और समन्वय।
- 8. विद्युतीकरण योजनाओं के संबंध में कलर लाइट सिग्नलों और दूरसंचार केबल बिछाने के प्रावधान के लिए अन्मानों की प्रक्रिया और उनकी मंजूरी।
- 9. विद्युतीकरण परियोजनाओं के संबंध में विभिन्न तकनीकी पहलुओं के लिए आरडीएसओं के साथ समन्वय और नियंत्रण।
- 10. शिरोपरि उपकरण/स्विचिंग स्टेशनों और कर्षण उप-स्टेशन तथा केबल सहायक उपकरण के लिए घटकों का स्वदेशी विकास।
- 11. विद्युतीकरण परियोजनाओं के विस्तार हेतु प्रारंभिक अध्ययनों के लिए संबंधित निदेशालयों के साथ कार्रवाई और समन्वय, बोर्ड के अनुमोदन के लिए नई परियोजनाओं की योजना।
- 12. स्वच्छ विकास तंत्र, ऊर्जा संरक्षण, वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा सेवाओं, परियोजनाओं पर कार्रवाई से संबंधित सभी मामले तथा स्वच्छ विकास तंत्र/कार्बन क्रेडिट/कार्बन भागीदारी निधि से संबंधित मामले।
- 13. नीतियों/कार्यक्रमों/पहलों को तैयार करना और भारतीय रेल में हरित निर्मित स्थानों के विकास से संबंधित मामलों जैसे स्टेशनों और औद्योगिक इकाइयों सहित सेवा भवनों पर कार्यान्वयन की निगरानी।
- 14. विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सीईआरसी और एसईआरसी के साथ समन्वय।
- 15. भारतीय विद्युत अधिनियम, नियमों और विनियमों से संबंधित मामले, उनके कार्यान्वयन, आवधिक संशोधनों, स्पष्टीकरण आदि सहित।
- 16. कर्षण पावर सप्लाई, सामान्य सेवाओं के लिए टैरिफ से संबंधित मामले।
- 17. यात्री सुविधा कार्य- इलेक्ट्रिक लिफ्ट, एस्क्लेटर, वाटर कूलर की व्यवस्था। रेल भवनों/परिसरों में डीजी सैट विदयुत पंप, एयर कंडीशनर और एसी प्लांट।

- 18. भारतीय रेल के लिए बिजली के सृजन/लेने, संचारण और उपयोग से संबंधित सभी मामले।
- 19. निर्माण कार्यक्रम प्रोग्राम आदि में शामिल किए जाने वाले सभी बिजली कार्य, एमएंडपी, आरएसपी और कर्षण वितरण और सामान्य बिजली आपूर्ति और कैरेज (बिजली), बिजली खपत आदि से संबंधित बजट।
- 20. विकास, प्रसार, परिचालन, रखरखाव, परिचालन क्षमता, पुर्जी, बजट, वित्रपोषण, कार्यी से संबंधित मामले, भारतीय रेलों पर 25 केवी एसी कर्षण सिस्टम से संबंधित सभी संसदीय मामले।
- 21. उद्योगों, निर्यात, आयात, प्रौद्योगिकी, घटकों, एसेम्बली के साथ संपर्क से संबंधित मामले, विभिन्न प्रकार के ओएचई से संबंधित मामले।
- 22. पारंपरिक और गैर-पारंपरिक ऊर्जा, शिरोपरि उपस्कर (2X25 केवी प्रणाली सहित) उपकरण, रेलवे विद्युतीकरण, ट्रांसिमशन लाइनें, सामान्य बिजली आपूर्ति आदि से संबंधित संसद, वैधानिक निकायों, वीआईपी संदर्भी आदि से प्राप्त सभी संदर्भ और उनसे संबंधित मामले।